

## निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (40) निकाशि/अनु/03/ २३०

दिनांक:- ५. ८. १३

## आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार अकादमी सत्र 2013-14 से निम्न महाविद्यालय को रथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

पत्रांसं.	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित विषय / संकाय
40	✓ सन्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पदमपुर, श्रीगंगानगर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व संचालित विषय / संकाय

- संख्या संबंधित निष्पत्तिलालिया से संबंदित प्राप्त करेंगी तथा तिथि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता द विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेंगी ।
- संकाय / विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा ।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है ।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय / नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानविक्री के अनुरूप किया जायेगा ।
- निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निरीक्षण करवाया जायेगा ।
- संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी ।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा ।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
- संस्था निदेशालय से सार्विकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की बेबाइट [www.collegeeducation.rajasthan.gov.in](http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है ।
- संस्था द्वारा एन०एस०एस / एन०सी०सी / रोवरिंग एवं रेंजिंग (स्काउट / गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा । इसकी सूचना समन्वयक एन०एस०एस०, कालेज शिक्षा को संबंधित आधिकारी का नाम एवं नोबाइल नंबर सहित 31 जुलाई, 2013 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे ।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय सम्बन्धी प्रवेश नीति 2013-14 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा ।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर रथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर

निदेशक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- जिला कलेवटर, श्रीगंगानगर ।
- कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।